

कार्यालय- कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश  
(स्थापना अराजपत्रित अनुभाग)  
लखनऊ // दिनांक: 19/ सितम्बर 2017

समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर,  
वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीय कर्मचारी(सीधी भर्ती) नियमावली-1985 के नियम-6 एवं शासनादेश संख्या-37/1/1969-कार्मिक-दो दिनांक: 31 अगस्त 1982 एवं शासनादेश संख्या-37/1/69-का-2/1995 दिनांक: 03 सितम्बर 1995 में निहित प्राविधानों के अनुसार वेतनमान- PB-2 संगत लेवल-3 के रिक्त लिपिकीय पदों के विरुद्ध 20% पदों को समूह "घ" के कर्मचारियों से पदोन्नति द्वारा भर्ती की जानी है, जिसमें अभ्यर्थियों का चयन निम्न आधार पर किया जायेगा :-

क्र०सं०	विषय	अधिकतम अंक
1	लिखित परीक्षा	30
2	चरित्र पंजिका	10
3	साक्षात्कार	10
कुल योग		50

चूँकि उपरोक्त भर्ती, पदोन्नति द्वारा लिपिक / टंकक के संवर्ग में की जानी है, इसलिए नियमानुसार कम्प्यूटर पर हिन्दी टंकण की परीक्षा भी ली जायेगी। उक्त परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए आवश्यक अर्हताएं निम्नप्रकार होंगी :-

- (1) परीक्षा में समूह-घ के केवल वे कर्मचारी ही सम्मिलित हो सकते हैं, जिन्होंने दिनांक: 30-06-2017 तक चतुर्थ श्रेणी के पद पर पाँच वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण कर ली हो, और हाईस्कूल अथवा शासन द्वारा मान्य उसके समकक्ष कोई अन्य मान्यता प्राप्त परीक्षा उत्तीर्ण की हो।
- (2) शासनादेश संख्या- 8/3/1965-कार्मिक-2 दिनांक:12-02-87 के अनुसार हिन्दी साहित्य सम्मेलन प्रयाग की किसी भी परीक्षा या उपाधि की सरकारी नौकरियों में नियुक्ति के निमित्त मान्यता प्रदान नहीं की गई है। ऐसी परीक्षा उत्तीर्ण किए कर्मचारी इस परीक्षा के लिए अर्ह नहीं होंगे।
- (3) शासनादेश संख्या-10/4/1978-कार्मिक-2 दिनांक:09-09-1983के अनुसार दीब-ए-माहिर परीक्षा उत्तीर्ण कर्मचारी भी उक्त परीक्षा के लिए अर्ह नहीं होंगे।
- (4) कार्मिक अनुभाग-4के ज्ञाप संख्या-1823/का-4-19-ई0एस0/ 1983 / दिनांक:04-06-1984 के द्वारा परिवहन चालकों को समूह-ग के अन्तर्गत रखे जाने के आदेश निर्गत किये जा चुके हैं। अतः वाहन चालकों के आवेदन पत्र अग्रसारित न किये जायें।
- (5) जिन चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नियुक्ति संग्रह इकाई के लिए स्वीकृत पदों के विरुद्ध की गई है, चाहे उनकी नियुक्ति जिसके द्वारा भी की गई हो, उनके आवेदन पत्र अग्रसारित न किये जायें एवं इसका गहन परीक्षण उनके सेवारोल एवं नियुक्ति पत्रों से कर लिया जाये।
- (6) आवेदन पत्र पर आवेदनकर्ता का सत्यापित फोटो अवश्य चस्पा किया जाये। परीक्षा आयोजित किये जाने के पूर्व अर्ह अभ्यर्थियों की सूची एवं उनके आवेदन पत्र विवरण सहित भेजा जाना आवश्यक है। आवेदन पत्र का प्रारूप संलग्न है।

अतः आप अपने जोन में स्थित कार्यालयों के पात्र अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र प्राप्त कर अपने स्तर से परीक्षण कराने के उपरान्त उनकी सूची / विवरण सहित नीचे अंकित प्रारूप पर दि0 16-10-2017 तक प्रत्येक दशा में मुख्यालय को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें। निर्धारित तिथि के उपरान्त मुख्यालय को प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा।

**प्रारूप**

क्र० सं०	अभ्यर्थी का नाम एवं पद	नियमित नियुक्ति की तिथि	वर्तमान तैनाती का स्थान	शैक्षिक योग्यता	दि० 30.06.2017 तक पूर्ण की गई सेवा की अवधि
1	2	3	4	5	6

अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण-पत्र की प्रमाणित प्रति अपने आवेदन पत्र के साथ संलग्न कर भेजना आवश्यक है। इस सम्बन्ध में आपको यह भी निर्देशित किया जाता है कि आप द्वारा प्रेषित सूची में सभी अभ्यर्थियों की नियुक्ति की तिथि, शैक्षिक योग्यता एवं जाति के सम्बन्ध में पूर्ण परीक्षण कर लें, ताकि कोई ऐसा अभ्यर्थी परीक्षा में न बैठ सके, जो इसका पात्र न हो। अभ्यर्थियों की शैक्षिक योग्यता एवं जाति प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रतियाँ आवेदन पत्र के साथ उपलब्ध कराना आवश्यक है।

उपरोक्त के अतिरिक्त पदोन्नति हेतु उक्त परीक्षा में सम्मिलित होने वाले कर्मचारियों को परीक्षा के समय इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा कि वह वही कर्मचारी है, जिसका नाम उनके आहरण वितरण अधिकारी द्वारा मुख्यालय उपलब्ध कराया गया है। यह प्रमाण पत्र सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारी द्वारा सम्बन्धित अभ्यर्थियों को परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु दिया जाएगा। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि जो अभ्यर्थी उक्त प्रमाण पत्र लेकर उपस्थित नहीं होंगे उन्हें इस परीक्षा में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। कृपया इससे सम्बन्धित चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को अवगत करा दिया जाए और इस आशय की सूचना कार्यालय के सूचना पटल पर लगवा दी जाए।

पदोन्नति हेतु उपर्युक्त परीक्षा का स्थान एवं तिथि बाद में निर्धारित करते हुए सम्बन्धित कार्यालयों को सूचित किया जाएगा।

*(सुधा वर्मा)*  
18/9/17

एडीशनल कमिश्नर (प्रशासन) वाणिज्य कर  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठांकन पत्र संख्या व दिनांक उक्त।

प्रतिलिपि निम्न लिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- अपर निदेशक, प्रशिक्षण संस्थान, वाणिज्यकर, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि वे अपने कार्यालय से सम्बन्धित अर्ह अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र सीधे मुख्यालय अग्रसारित करें।
- 2- समस्त आहरण वितरण अधिकारी, वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश को इस आशय से प्रेषित कि वे अपने कार्यालय से सम्बन्धित सूचना निर्धारित प्रारूप में अर्ह अभ्यर्थियों के आवेदन पत्रों की दो-दो प्रतियों सहित अपने एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1 को निर्धारित तिथि के पूर्व उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा यह भी सुनिश्चित कर लें कि कोई भी आवेदन पत्र सीधे मुख्यालय को अग्रसारित न किये जायें।
- 3- समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक) वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।
- 4- समस्त अनुभाग अधिकारी, वाणिज्यकर मुख्यालय को इस आशय से प्रेषित कि वे अपने अनुभाग से सम्बन्धित सभी चतुर्थ श्रेणी कर्मियों को उपरोक्त पदोन्नति परीक्षा के सम्बन्ध में अवगत करा दें और अर्ह अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र पूर्ण विवरण सहित प्राप्त कर, स्था-3(क) पटल, स्थापना अराजपत्रित अनुभाग को निश्चित तिथि तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- 5- अध्यक्ष / प्रान्तीय महामंत्री उत्तर प्रदेशीय चतुर्थ श्रेणी राज्य कर्मचारी संघ।

*(प्रवीण वर्मा)*

असिस्टेंट कमिश्नर (स्था०अराज०अनुभाग)  
वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

## आवेदन पत्र का प्रारूप

अभ्यर्थी की  
सत्यापित  
फोटो

अभ्यर्थी का नाम -----

पिता / पति का नाम -----

जाति -----

(यदि अनुजाति/अनुजनजाति के सदस्य हैं तो जाति प्रमाण की प्रमाणित प्रति संलग्न करें)

स्थायी पता -----

विभाग में नियमित नियुक्ति की तिथि -----

वर्तमान तैनाती कार्यालय -----

दि 30-06-2017 को पूर्ण सेवावधि -----

शैक्षिक योग्यता -----

(शैक्षिक योग्यता सम्बन्धी अंक पत्र / प्रमाण पत्रों की प्रमाणित प्रतियाँ संलग्न की जायें)

1- यदि हिन्दी टंकण का ज्ञान है तो गति ----- (प्रति मिनट)

0- यदि उक्त परीक्षा में पूर्व में भी सम्मिलित हुए हैं, तो उसका विवरण / वर्ष -----

कर्मचारी के हस्ताक्षर -----

कर्मचारी का नाम -----

पदनाम -----

दिनांक -----

संस्तुतिकर्ता अधिकारी की अभ्युक्ति एवं  
मुहर हस्ताक्षर पदनाम सहित

प्रमाणित किया जाता है कि श्री----- चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के  
आवेदन पत्र का पूर्ण सत्यापन अभिलेखों से कर लिया गया है। यदि कोई त्रुटि भविष्य में पायी जाती है तो उसका पूर्ण  
उत्तरदायित्व पदेन अधिकारी / अभ्यर्थी का होगा।

दिनांक-----

हस्ताक्षर

एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1 वाणिज्यकर  
मोहर

